न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 282/2021
जीसीएमएस सं. – 2021/335

—:: प्रार्थीगण ::—

1. भुण्डाराम पुत्र हेमाराम
2. श्यामलाल पुत्र हेमाराम
3. गीता पत्नि हेमाराम

सभी जातियान कुम्हार निवासी अनावास तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

—:: अप्रार्थीगण ::—

1. चेनाराम पुत्र बीजाराम
2. बंशीलाल पुत्र बीजाराम
3. बाबूलाल पुत्र बीजाराम
4. मेघाराम पुत्र बीजाराम
5. माधूराम पुत्र बीजाराम
6. रामलाल पुत्र बीजाराम
7. सुखराम पुत्र बीजाराम

सभी जातियान कुम्हार निवासी कुम्हारो की ढाणी रावनियाना तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

दर्ज तारीख :– 14.06.2021

उपस्थित अधिवक्ता :–
1. श्री महेन्द्रसिंह कच्छावाह, श्री अभिषेक कच्छावाह अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर सरकारी पैरोकार

दिनांक : 14/8/25

निर्णय

प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है कि यह है कि ग्राम रावनियाना की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 1041 रकबा 2.0710 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1042 रकबा 2.0063 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 4.0773 हैक्टयर भूमि आयी हुई हैं। जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ पुरानी माठे कायम है तथा प्रार्थी ने अपनी खातेदारी जमीन के अन्दर माठ के सहारे पेड़ पौधे लगाये । प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी के पूरब व उत्तरी तरफ अप्रार्थीगण सं. एक से सात की जमीन खसरा नम्बर 1040 व उत्तर तरफ खसरा नम्बर 1038 व 1047 आयी हुई हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेतो के मध्य पुरानी सेटलमेन्ट समय से माठ कायम है लेकिन अप्रार्थीगण सं. एक से सात बीच की माठ को खुर्द बुर्द करते आ रहे हैं तथा हर वर्ष अप्रार्थीगण बीच की माठ तोड़कर अपनी जमीन में मिलाते रहे है जिसको लेकर कई बार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य बोल चाल हो चुकी है तथा प्रार्थीगण ने अपनी वादग्रस्त आराजी का नापचौक भी करवाया लेकिन अप्रार्थीगण मान नही रहे है जिसको लेकर आपस में तनाव की स्थिति पैदा हो चुकी है तथा अप्रार्थीगण के नाजायज रूप से प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 1041 की पुरब माठ को अपनी जमीन में मिला लिया तथा प्रार्थीगण की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 1041 व 1042 की उत्तरी माठ को भी अप्रार्थीगण ने खुर्द बुर्द कर अपनी जमीन में मिला लिया हैं तथा अब प्रार्थीगण की जमीन में अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर उतारू है इसलिए प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त आराजी का नाप चौक करवाकर सीमांकन कराकर वादग्रस्त आराजी के चारो कोनो पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जासुद जमीन की सुरक्षा कर सके। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु पत्थर उपलब्ध करवाने को

तैयार हैं। अप्रार्थीगण ने दिनांक 19.06.2021 को प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी की पूरब व उत्तरी माठ को खुर्द बुर्द कर अपनी जमीन में मिला लिया तथा प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी के अन्दर हल चलाने लगे। इस पर प्रार्थीगण ने मना किया तथा अपनी अपनी जमीन का नाप चौक करवाने का कहा लेकिन अप्रार्थीगण अपनी जमीन का नाम चौक नही करवा रहा हैं। इसलिए प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त खातेदारी कब्जासुद जमीन की सुरक्षा हेतु नाप चौक करवाकर सीमांकन करवाकर चारो कोनो पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है इसलिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा हैं। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1041 व 1042 कुल खसरा 2 कुल रकबा 4.0773 हैक्टयर जमीन का नाप चौक करवाकर सीमांकन करवाकर चारो तरफ पत्थरगढ़ी करवायी जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 7 के समन बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं. 8 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख ग्राम रावनियाना में खसरा नम्बर 1041 रकबा 2.0710 हैक्टयर, व खसरा नम्बर 1042 रकबा 2.0063 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 4.0773 हैक्टयर स्थित हैं। वर्तमान में इनका कब्जा काश्त है। उक्त खातेदारी भूमि के पडौस में पूर्व, उतरी तरफ खसरा नम्बर 1040, 1038, 1047 की भूमि आई हुई हैं। जमाबन्दी नकल अनुसार चैनाराम, बंशीलाल, बाबूलाल, मेघाराम, माधुराम, रामलाल, सुखाराम पिता बीजाराम जाति कुम्हार सा. रावनियाना के नाम दर्ज है। जिसके खाता सं. 129 हैं। उक्त भूमि पर इनका कब्जा काश्त हैं। अतः अप्रार्थीगण कम सं. 1 से 7 व प्रार्थीगणो क.सं. 1 से 3 के मध्य भूमि की पैमाईश कर पत्थरगढ़ी के आदेश फरमाये जाने की अनुशंषा की हैं।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दिये गये बिन्दुओ को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1041 व 1042 कुल खसरा 2 कुल रकबा 4.0773 हैक्टयर की भूमि का पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं।

हमने बहस वकील प्रार्थीगण सुनी, प्रार्थना पत्र मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त आराजी के खेत खसरा नम्बर 1041 व 1042 कुल खसरा 2 कुल रकबा 4.0773 हैक्टयर प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद भूमि हैं। जिसका सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी कराने का पूर्ण अधिकारी हैं । अतः तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम रावनियाना के खसरा नम्बर 1041 व 1042 कुल खसरा 2 कुल रकबा 4.0773 हैक्टयर कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 15/8/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर